

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)

—:: भर्ती हेतु विज्ञापन ::—

विज्ञापन क्रमांक - **6114** / दो-12-48 / 2007,

बिलासपुर, दिनांक **03/10/2024**

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	दिनांक 04-10-2024, दिन शुक्रवार प्रातः 10:30 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 21-10-2024, दिन सोमवार संध्या 05:00 बजे तक
आवेदन पत्र जिला न्यायालय, बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बाक्स के माध्यम से ही स्वीकार किए जायेंगे।	

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग) के स्थापना के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले) कर्मचारी वाहन चालक के एक रिक्त पद की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने हेतु अहंता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पदों का विवरण :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	मंडिल	स्थानिक भूमिका	दिव्यांग	मुक्त	मंडिल	स्थानिक भूमिका	दिव्यांग	मुक्त	मंडिल	स्थानिक भूमिका	दिव्यांग	मुक्त	मंडिल	स्थानिक भूमिका	दिव्यांग
1	वाहन चालक	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

महत्वपूर्ण टीप :-

- उपरोक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद के अनुसार नवीन पद मिलने पर या रिक्त होने पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे।
- भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक-19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

1. वेतनमान

- कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन।

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

1. वाहन चालक के पद हेतु :-

- (अ) किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से न्यूनतम कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (ब) व्यवसायिक हल्का मोटरयान (LMV Commercial) चलाने का वैध अनुज्ञाप्ति धारण करता हो (जीवित लायर्सेंस) (प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य) तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। योग्य मैकेनिक जिसके पास संबंधित आई.टी.आई. का प्रमाण पत्र होगा, को प्राथमिकता दी जावेगी।
- (स) स्वस्थ होना चाहिए।
- (द) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

नोट :-

- (अ) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी ड्राइवर के कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे। **निजी व्यक्ति/निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।**
- (ब) प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

1. अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)
2. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
3. प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थायी/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।**

आयु संबंधी प्रमाण के लिये कक्षा पांचवी (प्राथमिक परीक्षा) कक्षा आठवीं (पूर्व माध्यमिक परीक्षा) के प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित हो मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (ब) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे।
5. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उसकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
6. कोई भी उम्मीदवार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है, तो उसने वयस्कता प्राप्त करने के बाद यदि 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से विवाह करती है तथा यदि पुरुष वयस्क अभ्यर्थी है, तो वह 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करता है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. अभ्यर्थी किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत करते हुए सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो या उसे घोर कदाचरण के लिए पदच्युत या सेवा समाप्त किया गया हो या निकाला गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. ऐसी अभ्यर्थी जिसे किसी गंभीर, नैतिक एवं किसी महिला के लज्जा के अवमान या यौन अपराध के लिए किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

महत्वपूर्ण :-

1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
2. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी हो मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी उन्हें विज्ञापित पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

4. उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 4(एक)(1) :-** यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
- 4(एक)(2) :-** छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/ अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4(एक)(3) :- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

4(एक)(4) :- ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4(एक)(5) :- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4(एक)(6) :- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02-06-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति / विधवा / परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4(एक)(7) :- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4(एक)(8) :- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा, में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

4(दो)(1) :- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्राजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4(दो)(2) :- विक्रम पुरस्कार सहित, राजीव पांडे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19-2/2005/1-3 दिनांक 01-12-2006 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4(दो)(3) :- उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक 6-10/2004/1-9 दिनांक 06-07-2010 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :-

- (1) बिन्दु क्रमांक 4(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- (2) बिन्दु क्रमांक 4(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के

अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए आयु सीमा 05 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

5. यदि कोई अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुये दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
6. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
7. जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समयावधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छंटाई के पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर ४००५० के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति के अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् पात्र आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जावेगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड की जायेगी एवं जिला न्यायालय बिलासपुर के सूचना पटल पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जायेगी, पृथक से कोई सूचना प्रदान नहीं की जावेगी। उम्मीदवार वेबसाईट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटाई (Short listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी द्वारा निर्णित किया जायेगा, जो अंतिम होगा।
9. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जिला न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए एक वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकेंगे।
10. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो, उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहे।
11. त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।
12. कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान व समय पर उपरिथित रहना होगा, उन्हे किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं

होगा।

13. अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा में शामिल करने हेतु आवेदनों की Short listing की जावेगी, जिसका मापदण्ड प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा गठित समिति तय करेगी।
14. अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

15. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 04-10-2024, दिन शुक्वार को प्रातः 10:30 बजे से बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से “आवेदित पद का नाम “वाहन चालक” लिखा हो, आवेदन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) को संबोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0) के जिला न्यायालय परिसर में रखे निर्धारित आवेदन जमा करने संबंधी पेटी (ड्रॉप बाक्स) पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 21-10-2024, दिन सोमवार संध्या 05:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदन जमा करने संबंधी पेटी (ड्रॉप बॉक्स) से भिन्न प्रकार जैसे—स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्टर्ड डाक, ई—मेल, कोरियर, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं वाहन चालक के अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं की LMV Commercial की ड्राइविंग लाईसेंस की स्व—अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर छ0ग0 की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> से डाउनलोड की जा सकती है, निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
3. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चर्चा करना अनिवार्य होगा।
4. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक शाला/पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची, जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में समिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। (अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात् का संलग्न करना होगा) यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं होने की दशा में उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेंगे, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में वांछित सभी जानकारी देखकर, अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में

कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो, उसकी पूरी जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

16. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

(1) नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

1. आकस्मिक निधि के पद हेतु चयन हेतु कौशल परीक्षा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी।
2. आकस्मिक निधि के (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों पद वाहन चालक के पद पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जावेगा।
3. उपरोक्त उल्लेखित पदों के चयन हेतु कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जावेगी। कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मू.म.नि./2014/एक-7 दिनांक 23-08-2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29-06-2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24-09-2013 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप -(एक) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार के प्राप्तांक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर आठवीं परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। यदि आठवीं में भी समान अंक हो जाते हैं तो, ऐसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी।
7. आकस्मिक निधि के रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर 8 वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

8. यदि अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिनके 8 वीं कक्षा के प्राप्तांक ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत दिये गये हैं, तो उनके ग्रेडिंग के संबंध में छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उनके प्राप्तांकों / ग्रेड के आधार पर पृथक से प्रावीण्य सूची तैयार की जा सकेगी और उसके आधार पर रिक्त 01 पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
9. सर्वप्रथम अनंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाईट में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।
10. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) को होगा।
11. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूलप्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
12. चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय बिलासपुर के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ.ग. रायपुर से कराये जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
14. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला बिलासपुर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।
15. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

(2) नियुक्ति हेतु चयन विधि :-

1. वाहन चालक के पद हेतु :-

- अ. वाहन चालक के पद पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जायेगा।
- ब. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थित में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि

पहले होगी, उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर आठवीं परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। यदि आठवीं में भी समान अंक हो जाते हैं तो, ऐसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी। वाहन चालक के पद हेतु जिसके पास वाहन मेकेनिक से संबंधित आईटीआई का प्रमाण पत्र होगा, उसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएँ :-

1. अभ्यर्थी आकस्मिक निधि के (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी) वाहन चालक के पद के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2. किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (T.A./D.A.) नहीं दिया जाएगा।
3. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया/कौशल परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
4. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

१०३/१०/१५

सभापति
चयन समिति
आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले)
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाहन चालक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर (छ0ग0)

अभ्यर्थी स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज की फोटो यहां
चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
3. (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
4. पिता / पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
- (ब) स्थाई पता :
- (द) जन्म तिथि (अंकों में) :
- शब्दों में :
- (ब) दिनांक 01/01/2024 को आयु : वर्ष माह दिन
7. आवेदक का मोबाइल नंबर :
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ / नहीं :
- (यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति का सदस्य है ? हाँ / नहीं :
- (यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हाँ/नहीं :
 (यदि हाँ, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल
 बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायांप्रति संलग्न करें)
11. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :
12. क्या आप विवाहित है ? हाँ/नहीं :
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :
- क्रमांक एवं दिनांक :
14. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

15. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था :
 में सेवारत है ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की
 सत्यापित छायांप्रति संलग्न करें)
16. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
17. क्या आप निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहते हैं ? हाँ/नहीं
18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

—:: घोषणा पत्र ::—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किये जाने योग्य होगा।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नंबर

ई-मेल नं.

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरें)